न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 100 / 2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
लीलोंदेवी पत्नी मूलाराराम, उम्र 50 साल, जाति—प्रजापत, निवासी—पायलां खुर्द, तहसील—सिणधरी, जिला—बालोतरा।		1. गुणेशाराम पुत्र लाखाराम 2. मांगाराम पुत्र नारणाराम, जातियान—रबारी 3. गोविन्दसिंह पुत्र मूलसिंह 4. राजेन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह, जातियान—राजपुत 5. हटाराम पुत्र सुजाराम 6. पोलाराम पुत्र सुज़ाराम 7. धनाराम पुत्र भारमलराम 8. भुराराम पुत्र भारमलराम 9. हुकमाराम पुत्र भारमलराम 10. आम्बाराम पुत्र लिखमाराम 11. सालूराम पुत्र लिखमाराम 12. नगाराम पुत्र चेलाराम 13. दीपाराम पुत्र चेलाराभ 14. मफतलाल पुत्र वजाराम 15. लाधाराम पुत्र वजाराम 16. हरचन्दराम पुत्र वजाराम 17. गोमाराम पुत्र वजाराम 18. मोहनलाल पुत्र प्रतापाराम 19. शंकर पुत्र प्रतापाराम 20. चेतनराम पुत्र प्रतापाराम 21. पुनमा[illegible] [illegible]ाराम, जातियान—[illegible]बी 22. अब्दुल रह[illegible] [illegible]त्र मोहम्मद 23. [illegible] [illegible] मोहम्मद 24. अलारख पुत्र नसीर 25. हनीफ पुत्र नसीर 26. गीगा पुत्र नसीर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:25:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

27. मुस्तान पुत्र नसीर

28. रमजान पुत्र नसीर

29. हबासखां पुत्र फकीरखां

30. इलियासखां पुत्र फकीरखां

31. युसुबखां पुत्र फकीरखां

32. मांगा पुत्र सुलेमानखा, उम्र–व्यसक, जातियान–मुसलमान, निवासी–पायला खुर्द, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण समस्त एकतरफा।

आदेश

दिनांक 16.10.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीया का खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम पायला खुर्द के खेत खसरा संख्या 453/273 रकबा 4.1583 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीया के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीया द्वारा खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम पायला खुर्द के खेत खसरा संख्या 453/273 रकबा 4.1583 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:25:25 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीया का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को [illegible]स्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी[illegible] सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नही होने पर [illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीया के खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

पायला खुर्द के खेत खसरा संख्या 453/273 रकबा 4.1583 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीया के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माते या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम पायला खुर्द के खेत खसरा संख्या 453/273 रकबा 4.1583 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमनें वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम पायला खुर्द के खेत खसरा संख्या 453/273 रकबा 4.1583 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीया विवादित भूमि की रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है, जिसकी प्रार्थीया हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीया के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीया का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम पायला खुर्द के खेत खसरा संख्या 453/273 रकबा 4.1583 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीया व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/–प्रार्थीया मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:25:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 16.10.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी